सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **258/2017** दायर दिनाँक **11.09.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालसिंह पुत्र नारायणसिंह, जाति–रावणा राजपूत, उम्र–65साल, निवासी–छापरीकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. नायब तहसीलदार, मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act., सपठित धारा 136 R.L.Act.

उपस्थित :–

1. श्री दानाराम भाटी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **09.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद छापरी कलाँ में खेत खसरा नम्बर 234/61 रकबा 16.19 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज है जिसकी खतौनी नकल वाद के साथ पेश है।

वादी का नाम लालसिंह व वादी के पिता का नाम नारायणसिंह जाति रावणा राजपत है। वादी का नाम समस्त राजकीय दस्तावेजात्, यथा– परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता पास बुक आदि में, लालसिंह व वादी के पिता का नाम नारायणसिंह दर्ज है। फौटो प्रतियाँ वाद के साथ संलग्न है।

वादी के खेत की खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम लालाराम व वादी के पिता का नाम नारायणराम, सहवन से दर्ज है।

वादी के खेत की खतौनी नकल लेने से वादी को पता चला कि वादी का नाम खातेदारी में "लालाराम" व वादी के पिता का नाम "नारायणराम" दर्ज है, जो कतई गलत है, जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात् में वादी का सही नाम "लालसिंह" तथा वादी के पिता नाम "नारायणराम" दर्ज है व ऐसे ही राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज होना आवश्यक है।

वादी के उपर्युक्त प्रकार से खातेदारी में दर्ज नाम व वादी के अन्य दस्तावेजात् में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम दुरस्त करवाया जाने बाबत् यह वाद वास्ते रिकॉर्ड दुरस्ती हेतु पेश है।

वाद में वादी द्वारा राज्य–सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार की अनुतोष नहीं चाहा है इसलिए वाद करने से पूर्व राज्य–सरकार को दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। मगर, आवश्यक पक्षकार होने से, इस वाद में तहसीलदार मौलासर/तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया गया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद देवराठी में खेत खसरा नम्बर 234 / 61 रकबा 16.09 बीघा की खातेदारी में वादी का नाम "लालाराम" व वादी के पिता का नाम "नारायणराम" के नाम से दर्ज है, जो गलत होने से उसके स्थान पर "लालसिंह" व वादी के पिता का नाम "नारायणसिंह" जाति रावणा राजपूत नाम दर्ज या जाने हेतु रिकॉर्ड में दुरस्त किया जावे।

वाद वर्णित खेत की खातेदारी वादी लालाराम व वादी के पिता नारायणसिंह जाति दरोगा गलत होने से उसके स्थान पर लालसिंह व वादी के पिता का नाम नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत नाम से घोषित किया जावे

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम छापरीकलाँ सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 190 / 161 की प्रतिलिपि, परिवार रार्शन–कार्ड संख्या 00329 ग्राम छापरीकलाँ की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र क्रमांक RJ/25/194/429194 निर्वाचक का नाम लालसिंह की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत–सरकार द्वारा जारी आधार नम्बर 732736402284 नाम–लालसिंह की स्वसत्यापित छायाप्रति, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी भामाशाह–कार्ड परिवार पहचान संख्या YQIQMFB की स्वसत्यापित छायाप्रति, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी पास बुक खाता संख्या 44330100004902 खाता धारी का नाम लालसिंह की स्वसत्यापित छायाप्रति पेश है।

वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। अधिवक्ता वादी, वाद मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादी ने वाद के समर्थन में परिवार रार्शन–कार्ड संख्या 00329 ग्राम छापरीकलाँ की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र क्रमांक RJ/25/194/429194 की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत–सरकार द्वारा जारी आधार नम्बर 732736402284 की स्वसत्यापित छायाप्रति, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी भामाशाह–कार्ड परिवार पहचान संख्या YQIQMFB की स्वसत्यापित छायाप्रति, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी पास बुक खाता संख्या 44330100004902 की स्वसत्यापित छायाप्रति पेश की है। वादी द्वारा पेश उपर्युक्त समस्त दस्तावेजात् में वादी का नाम "लालसिंह" पुत्र "नारायणसिंह" दर्ज है जबकि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम "लालाराम" पुत्र "नारायणराम, कौम–दरोगा" दर्ज है। वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में "लालाराम पुत्र नारायणराम, कौम–दरोगा" के स्थान पर "लालसिंह पुत्र नारायणसिंह, कौम–रावणा राजपूत" दुरस्त करवाना चाहता है। वादी द्वारा पेश साक्ष्य शपथ–पत्र के मुताबिक, वादी "लालसिंह" या "लालाराम" एक ही व्यक्ति है। वादी के वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। वादी अपना सही नाम दुरस्त करवाने का अधिकारी है। वादी का नाम वादी के अन्य समस्त उपर्युक्त दस्तावेजात् के अनुसार हीं वादी की खातेदारी की उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज नाम "लालाराम" पुत्र "नाराणराम" के स्थान पर "लालसिंह" पुत्र

2

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–258 / 2017
दायर दिनाँक 11.09.2017, निणर्य दिनाँक 09.11.2017
लालसिंह बनाम् नाबय तहसीलदार, मोलासर, वगैरा।

''नारायणसिंह'' वादी द्वार उपर्युक्त पेश दस्तावेजात् के परिप्रेक्ष्य में दुरस्त किया जाना, हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद छापरीकलाँ पटवार क्षेत्र छापरीकलाँ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 234/61 रकबा 16.19 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी का नाम ''लालाराम पुत्र नारायणराम, कौम–दरोगा'' के स्थान पर ''लालसिंह पुत्र नारायणसिंह, कौम–रावणा राजपूत'' दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **09.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **258/2017** दायर दिनाँक **11.09.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालसिंह पुत्र नारायणसिंह, जाति–रावणा राजपूत, उम्र–65साल, निवासी–छापरीकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. नायब तहसीलदार, मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act., सपठित धारा 136 R.L.Act.

दिनाँक **09.11.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री दानाराम भाटी, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद छापरीकलाँ पटवार क्षेत्र छापरीकलाँ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 234/61 रकबा 16.19 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी का नाम "लालाराम पुत्र नारायणराम, कौम–दरोगा" के स्थान पर "लालसिंह पुत्र नारायणसिंह, कौम–रावणा राजपूत" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **09.11.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner